

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ.1()आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2020/ 3783 - 87 जयपुर, दिनांक: 20-3-2020

आदेश

मुख्य सचिव महोदय के अनुमोदनानुसार COVID-19 की रोकथाम तथा बचाव संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा SDRF से गृह मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 33-4/2020-NDM-1 दिनांक 14.3.2020 द्वारा जारी दिशा निर्देश तथा मापदण्डों के अनुसार किये जाने वाले व्यय के लिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान को उनके अधिनस्थ अधिकारियों/कार्यालयों को आहरण वितरण शक्तियाँ प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। तदनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों को आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा SDRF से राशि का आवंटन किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

20/3/2020
शासन सचिव

क एफ.1()आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2020/

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ✓
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ✓
4. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ✓
5. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-y) विभाग, राजस्थान, जयपुर
7. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर

संयुक्त शासन सचिव